न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 08 / 2023

अनवान : –

1. शैलेन्द्र कुमार पुत्र महावीर जाति मेघवाल निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

<u>**निर्णय**</u> **दिनांकः**-29/02/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 13 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 88 / 88 की कुल 7.1590 हैक्ट भूमि में से 1 / 12 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम शैलेन्द्र पुत्र महावीर दर्ज है जो कि सहवन से दर्ज हुआ है प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम प्रार्थी के दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि में शैलेन्द्र कुमार पुत्र महावीर दर्ज है।

राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में शैलेन्द्र पुत्र महावीर के स्थान पर अपना सही व वास्तविक नाम शैलेन्द्र कुमार पुत्र महावीर दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थी का नाम शैलेन्द्र के स्थान पर अपना सही व वास्तविक नाम शैलेन्द्र कुमार दर्ज कर देवे जिससे प्रार्थी का कोई हिस्सा कम अथवा ज्यादा नही होना केवल नाम ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 17:56:26 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौरान बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम शैलेन्द्र कुमार पुत्र महावीर है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम शैलेन्द्र पुत्र महावीर दर्ज हो गया जिससे प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही नाम शैलेन्द्र कुमार पुत्र महावीर दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 13 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 88/88 की कुल 7.1590 हैक्ट भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, प्रार्थी अपना नाम शैलेन्द्र पुत्र महावीर के स्थान पर शैलेन्द्र कुमार पुत्र महावीर दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम शैलेन्द्र कुमार पुत्र महावीर अंकित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा चक 13 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 88/88 की कुल 7.1590 हैक्ट भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम **शैलेन्द्र पुत्र महावीर के स्थान पर शैलेन्द्र कुमार पुत्र महावीर का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच शैलेन्द्र पुत्र महावीर के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का शैलेन्द्र पुत्र महावीर के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम शैलेन्द्र पुत्र महावीर ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 29/02/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 17:56:26 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नोहर

पीठासीन अधिकारी : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

क्रमांक : रीडर / सशोधन / 2023 / 211 दिनांक : 04/03/24

तहसीलदार,

नोहर।

विषय :– प्रकरण स0 08 / 2024 अनवानी शैलेन्द्र कुमार बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के संबंध में।

प्रकरण संख्या – 8 / 2024

अनवान : –

1. शैलेन्द्र कुमार पुत्र महावीर जाति मेघवाल निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 13 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 88 / 88 की कुल 7.1590 हैक्ट भूमि में से 1 / 12 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम **शैलेन्द्र पुत्र महावीर के स्थान पर शैलेन्द्र कुमार पुत्र महावीर का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच शैलेन्द्र पुत्र महावीर के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का शैलेन्द्र पुत्र महावीर के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम शैलेन्द्र पुत्र महावीर ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 17:36:26 IST
Reason: SelfAttested